भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या -2854
उत्तर देने की तारीख -07/08/2023

समग्र शिक्षा अभियान के लिए ऋण

2854. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में समग्र शिक्षा अभियान के वित्तपोषण के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण लिया है;
(ख) यदि हां, तो ऋण की राशि का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक से कितनी ऋण राशि जुटाई गई है;
(घ) क्या सरकार ने किसी योजना का कार्यान्वयन रोक दिया है अथवा साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किए गए बजट आबंटन को समाप्त कर दिया है और जिसके कारण तथा वैश्विक महामारी के कारण बुनियादी साक्षरता का लक्ष्य गंभीर रूप से बाधित हुआ है;
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(च) बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की क्या योजना है;
(छ) डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन में 35 प्रतिशत की कमी के क्या कारण हैं; और
(ज) डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय वर्ष 2018-19 से प्रभावी, स्कूली शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना, समग्र शिक्षा लागू कर रहा है। संशोधित समग्र शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ा गया है और दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2026 तक पांच साल की अवधि के लिए जारी रखा गया है। समग्र शिक्षा के तहत, केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न 8 उत्तर-पूर्वी राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और 2 हिमालयी राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, जहां यह 90:10 है को छोड़कर सभी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 के अनुपात में है, यह बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्र प्रायोजित है। समग्र शिक्षा के लिए धनराशि केवल उपरोक्तानुसार केंद्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से आती है।

(घ) और (ड): शिक्षा मंत्रालय ने एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप, "न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम" (एनआईएलपी) नाम से एक केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य पांच वर्षों (2022-27) के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5.00 करोड़ गैर-साक्षर शिक्षार्थियों के लक्ष्य को कवर करना है। एनआईएलपी के लिए पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27) के लिए अनुमोदित कुल वित्तीय परिव्यय 1037.90 करोड़ रुपये है।

(च): समग्र शिक्षा के तहत, लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यकलापों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लड़कियों के लिए पहुंच आसान बनाने के लिए पड़ोस में स्कूल खोलना, आठवीं कक्षा तक की लड़कियों को मुफ्त वर्दी और पाठ्य-पुस्तकें, दूरदराज/पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए अतिरिक्त शिक्षक और आवासीय क्वार्टर, महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, कक्षा **I** से कक्षा **XII** तक सीडब्ल्यूएसएन लड़कियों को वजीफा, लड़कियों के लिए अलग शौचालय, लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के संवेदीकरण कार्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों सहित जेंडर-संवेदनशील शिक्षण-अधिगम सामग्री आदि शामिल है। इसके अलावा, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर अंतर को कम करने के लिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों की लड़कियों के लिए कक्षा छः से बारह तक के आवासीय विद्यालय हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्वीकृत हैं।

इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मेधावी लड़कियां राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकती हैं। छात्रवृत्ति उन मेधावी छात्रों को प्रदान की जाती है, जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से आय **3,50,000/-** रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, ताकि आठवीं कक्षा में उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट न जाए और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

(छ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है और अधिकांश स्कूल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के दायरे में आते हैं। समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी वार्षिक कार्य योजना में प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के अनुसार, स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाएं और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए धन राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी और स्मार्ट कक्षाओं के लिए स्वीकृत निधि का विवरण इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
आईसीटी	704.6	1003.8	988.2	1383.2
स्मार्ट क्लासरूम	231.8	909.6	787.4	634.2

(स्रोत: प्रबंध)

(ज): भारत सरकार ने अपनी बजट घोषणा 2022-23 में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। यह देश भर के छात्रों को उनके दरवाजे पर व्यक्तिगत अधिगम अनुभव के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करेगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी की मुख्य विशेषता एक नेटवर्कयुक्त हब-स्पोक मॉडल है, जिसमें आईआईटी-मद्रास, दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी-दिल्ली, आईआईटी-खड़गपुर आदि जैसे विभिन्न शीर्ष संस्थानों के साथ साझेदारी करके अत्याधुनिक आईसीटी विशेषज्ञता का निर्माण किया जाता है।

*****